

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2307
19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना

2307 श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

श्री महेंद्र भट्ट:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, प्रबंधन तथा अनुरक्षण हेतु निर्धारित संस्थागत ढांचा क्या है;
- (ख) इस अवसंरचना के लिए स्वीकृत कुल निवेश, वित्तीय सहायता और लागू प्रावधानों का सार क्या है;
- (ग) महानगरों, स्मार्ट शहरों व प्रमुख नगरों में ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार हेतु अपनाई गई प्राथमिकताएँ तथा मापदंड कौन-से हैं; और
- (घ) चार्जिंग स्टेशनों के प्रभावी संचालन और सतत निगरानी सुनिश्चित करने हेतु लागू तंत्र एवं उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराज् श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत महानगरों, स्मार्ट शहरों व प्रमुख नगरों सहित पूरे देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना (जिसमें ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन तथा बैटरी चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं) की स्थापना हेतु ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया गया। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा उनके सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के योग्य हैं। प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित नोडल एजेंसी(यों) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं, जो ईवी पीसीएस की मांग का एकत्रीकरण करती हैं। क्रियान्वयन संबंधित संस्थाओं द्वारा सीधे अथवा चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) को विनियोजित करके किया जा सकता है।

यह स्कीम अपस्ट्रीम अवसंरचना तथा ईवीएसई (चार्जर) के लिए पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो स्थान की श्रेणी के आधार पर अधिकतम 100% तक हो सकती है।

(ग) और (घ): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रचालन दिशानिर्देश 26.09.2025 को जारी किए गए हैं। इनमें महानगरों, स्मार्ट शहरों आदि में ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए अपनाई गई प्राथमिकताओं एवं मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इन दिशानिर्देशों में चार्जिंग स्टेशनों के प्रभावी संचालन तथा निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध तंत्र एवं उपायों का भी विवरण दिया गया है।
